(b) if so, whether the Agricultural Prices Commission will be advised to recommend prices on the basis of this formula?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The Government fixes support, procurement prices of agricultural commodities on the recommendation of the Agriculturtl Prices Commission which, inter-alia, takes into account the available estimates of cost of production of the crop, changes in input prices, levels of administered prices for competing crops, production prospects, the expected trend in the market prices, likely effects of the changes in prices on the other sectors, the terms of trade between the agricultural and non-agricultural sectors and the overall needs of the economy, etc. These considerations cannot be reduced to any formula which could be automatically applied.

सहकारी ऋण की वसूली में राहत

995. श्री दलबीर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) फसलों के बर्बाद हो जाने की स्थिति में कृषि कार्यों के लिए किये गये सहकारी ऋणों और उस पर ब्याज की वसूली के मामले में राहत देने के लिए अपनाई गई नीति क्या है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : फसलों को क्षति पहुंचाने की स्थिति में कृषि कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समितियां निम्नलिखित नीतियों को अपनाती हैं :—

(1) जब राज्य सरकारें 'अन्नाबाढ़ी' की घोषणा करती हैं, अर्थात् व्यापक प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की 50 प्रतिशत से अधिक हानि होने की घोषणा करती हैं तो खेती बाड़ी के लिए दिये गये अल्पकालिक उत्पादन ऋणों को मध्यकालिक ऋणों में बदला जा सकता है जिसे तीन वर्षों की अवधि में वापिस करना होता है। उधार लेने वाला नया अल्पकालिक उत्पादन ऋण ले सकता है। यह परिवर्तन राज्य व केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बनाई गई ऋण स्थिरीकरण निधि और भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित राष्ट्रीय ऋण स्थिरीकरण निधि के माध्यम से होता है। इस प्रकार पुनः व्यवस्थित अल्पकालिक ऋण पर देय ब्याज सहकारी समितियों द्वारा स्थगित भी किया जा सकता है।

(2) जहां निरन्तर रुप से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां ऋण परिवर्तन की अवधि को पहले पांच वर्ष और बाद में 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(3) इसी प्रकार, फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि पहुंचने पर वर्ष में देय माध्यमिक ऋण की किश्त की पुनः व्यवस्था भी सहकारी समितियों की स्थिरीकरण निधियों के माध्यम से की जा सकती है।

(4) बहुत जरुरी मामलों में जहां चालू ऋणों और पुनःव्यवस्थित ऋणों की किश्तों की वापसी करना उधार लेने वाले की क्षमता से बाहर हो वहां उधार लेने वाले की देयताओं (बड़े किसानों को छोड़ कर) के एक भाग को समाप्त

कर के भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राहत प्रदान की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों की सहायता से एक राहत और गारन्टी निधि रखी जायेगी।

(5) भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये दीर्घकालिक ऋणों के मामले में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंचने पर बैंक वर्ष के दौरान किश्तों की पुन: व्यवस्था कर सकते हैं। पहले की पुन: व्यवस्था केवल पुनर्भुगतान की अवधि में ही हो सकती थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक इस बात के लिए सहमत हो गया है कि कुछ मामलों में परिसम्पत्ति की अवधि में ऋण की वापसी की अवधि को बढ़ाकर पुन: व्यवस्था की जा सकती है। पुन: व्यवस्था मलधन तथा ब्याज की देय राशि के मामलों में लागू होगी।

Research centres in Agriculture

996. SHRI DAULAT RAM SARAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the arrangements made for conducting research in the field of agriculture;

(b) the names of places where research centres and institutions are located;

(c) the annual expenditure being incurred on the research work; and

(d) the outcome of research plans as also the special researches made so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTIONS (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Research in the field of Agriculture (including Animal Husbandry and Fisheries) is being carried out by Indian Council of Agricultural Research through 32 Research Institutes, 2 National Bureas, 5 Project Directorates, 3 advanced|National Research Centres, 1 National Academy of Research Management, 56 All India Coordinated Research Projects, 21 Agricultural Universities and about 350 *ad-hoc* research schemes. The State Governments have their own research stations in Agriculture (including Animal Husbandry and Fisheries).

(b) The names of the places where Research Centres and Institutions under the control of ICAR located are given in Statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1930/81].

(c) The annual expenditure on research incurred by ICAR during the past three years is given below:

(Rs. in lakhs)

	1977-78	1978-79	1979-80
i) Plan	3920·27	4764·69	3985·56
ii) Non-Plan	1972·58	2033·92	3145·80
iii) Cess Fund	228.91	257·68	329·63
iv) Other sources	93·51	188·30	122·15
Total:	6145·57	7244·59	7583·1

(d) The annual report of DARE (Department of Agricultural Research and Education)|ICAR is placed on the Tables of both Houses of Parliament every year. This gives an account of the outcome of research plans and also the special researches carried out during the year. The latest report of the DARE for 1980-81 is expected to be submitted during the current budget session.